अपील सूचना अधिकार संख्या 02/2019 (RCMS 2019/00004) श्री राजेन्द्र कुमार निवासी 115 नई अनाज मण्डी, श्रीगंगानगर – 335001 बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

13.11.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राजेन्द्र कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 02 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राजेन्द्र कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.10.2018 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

1. तहसील सादुलशहर के चक 14 एसडीपी के मु.नं. 28 पत्थर नं. 2/184 के वर्ष 2016 के फसल खराबा का मुआवजा जिस नाम से किस बैंक खाता में भुगतान किया है।
2. मूंग की ओलावृष्टी का मुआवजा किस नाम से किस बैंक खाता में किस बैंक खाता में किया, उक्त खाते का आधार नाम क्या है।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2019/79 दिनांक 21.01.2019 से अपील पत्र का निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगानुसार पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं रिकॉर्ड की जांच करने पर पाया गया कि पत्रावली के संबंध में कार्यालय हाजा को कोई आरटीआई प्राप्त नहीं हुई हैं। पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के उक्त जवाब के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उसे प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है और अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी के समक्ष पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार सूचना प्राप्त कर सकता है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के अनुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर